

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उ०शि०)उ०प्र०,
छिन्नी अर्थ-1(आयोग)
इलाहाबाद।

सेवा में

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय,
शौंसी(उ०प्र०)।

पत्रांक छिन्नी अर्थ-1(आयोग)/

/2017-18 दिनांक 28/7/2017

विषय : विज्ञापन संख्या-46 में विज्ञापित पद प्रवक्ता के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय के प्रवक्ता दर्शनशास्त्र वेतनकम 15600-39100 ग्रेड पे 6000 में रिक्त पद का संदर्भ ले जो डा० एस०के० त्रिपाठी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त रूप में उपलब्ध है।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या- उ०शि० आयोग/सी-633/39/913/2016-17 दिनांक 16/02/2017 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के प्रवक्ता दर्शनशास्त्र के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अधिव्यापन हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

श्री अमित कुमार शुक्ल

188 ए. तिलक नगर, अल्लापुर,

इलाहाबाद।

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति सगत्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्रावधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, से बिलम्बतम 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवसर दिया जाय।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अनिवार्यतः संसूचित करेगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विरपविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

6- यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निवृत्ति अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा० न्यायालय का कोई स्थगन अंतरिम/अन्तिम बाध्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

28/7/17
A-282

blc

7- संस्तुत अभ्यर्थी की आसन-व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बिना अपरिहार्य कारणों के अपरिवर्तनीय होगी।

8- प्रबन्धतंत्र अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की आसन-व्यवस्था करते समय नियुक्ति पत्र। शासनादेश संख्या- 22/5/1982-का-2 दिनांक 27 जुलाई 1984 में दी गयी निम्न व्यवस्था का नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय :-

“ यह नियुक्ति अनिश्चित है तथा जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अधीन है और सत्यापन करते पर यदि यह पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रमाण भी गमल हो के सम्बन्ध में सत्य झूठ है तो बिना किसी कारण बताये सत्य झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही जो की जा सकती है के बारे में पूर्वाग्रह के बिना सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।”

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

नोट :-

भवदीय

डा० आर०पी० सिंह
शिखा निदेशक, उच्च शिक्षा
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृष्ठ/कम सं० : डिप्टी अर्थ-1(आयोग)/ 71-75 /उत्ती तिथि को।

उक्त पत्र की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, लखनऊ।

2- प्राचार्य, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, जौंसी (उ०प्र०)।

3- संबंधित अभ्यर्थी को इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि वे कृपया :-

(क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें।

(ख) महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से सम्पर्क कर शीघ्रातिशीघ्र अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को भी दें।

(ग) प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि आप द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थी के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप उक्त नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं हैं और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन-व्यवस्था पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जौंसी।

5- सचिव, उत्तर प्रदेश सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद।

28.7.17

डा० (प्रीति गौतम)

संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ०प्र०)

दूरी शिक्षा निदेशक(उ०प्र०)

उ०प्र०, इलाहाबाद।